फोन : 99209-13897

भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान

रजि. ऑफिस: 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना, पंजाब-141007

www.bvbja.com

रजि. नं. : 20150018562/96/2015

मुख्य कार्यालयः 001 मारिया अपार्टमेन्ट, ग्राऊंड फ्लोर, प्लॉट नं. E-78/3, सेक्टर 9, ऐरोली, नवी मुंबई – 400 708.

संदर्भ क्र. : BVBJA/LTR/1617245/20170915_SAT07

दिनांक : 15.09.2017

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक (DGP)
पंजाब पुलिस हैड क्वार्टर्स,
सेक्टर 9, चंडीगढ़ – 160009

विषयः रिश्वतखोर फ़ूड इंस्पैक्टर व उसके धोखेबाज भाई के खिलाफ शिकायत किये जाने की वजह से Whistle Blower व पीड़ित शिकायतकर्ता के ऊपर 3-3 झूठी शिकायत पर F.I.R. दर्ज करके संवैधानिक पद का दुरूपयोग करने वाले अफसरों के खिलाफ तकनीकी सबूतों को इकट्ठा करने के बजाये लुधियाना पुलिस अपराधियों के साथ मिलकर सबूतों को मिटाने के मामले में जिम्मेदार पुलिसकर्मियों व अपराधियों के खिलाफ F.I.R. दर्ज करने व C.B.I. द्वारा जाँच करवाने हेतु।

महोदय,

संगठन के पास पीड़ित (लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद) के साथ Paytm द्वारा की गई धोखाधड़ी का मामला आया था जिसमें संगठन के द्वारा सबूतों के साथ शिकायत भेज कर F.I.R. दर्ज करने की माँग की गई थी (दस्तावेज़ साथ में संलग्न हैं) मगर अपराधियों के खिलाफ F.I.R. दर्ज करने की अपेक्षा Whistle Blower मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद पर ही झूठी शिकायतों पर 3-3 F.I.R. दर्ज कर दी गई जो पुलिस की मिलीभगत व संबंधित पुलिस अधिकारियों के दबाव से ही दर्ज हुई है।

इस मामले में लुधियाना पुलिस के भ्रष्ट पुलिसकर्मी व पुलिस अधिकारी पूरी तरह से अपराधियों को बचाने का कार्य कर रहे हैं, निम्न आधार पर यह आरोप सत्य साबित होते हैं :-

1. Paytm से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में सबूतों के साथ शिकायत देने के बावजूद ना तो आज तक F.I.R. दर्ज हुई है और ना ही किसी भी प्रकार की जाँच की गई यहाँ तक की 'सूचना के अधिकार (R.T.I.)' के तहत माँगी गई जानकारी के जवाब भी नहीं दिये गये।

2. DDR No. 23/2017 डिविजन नं. 1 (कोतवाली) में दर्ज की गई जो निम्न आधार पर झूठी शिकायत पर दर्ज की गई है:-

    a. पीड़ित की तरफ से जिसके खिलाफ शिकायत की गई थी उसकी बहन द्वारा यह झूठी शिकायत दर्ज की गई थी।

b. शिकायतकर्ता बहन के बयान व मैडिको लीगल रिपोर्ट ही शिकायतकर्ता बहन को झूठा साबित करते हैं|

c. शिकायतकर्ता बहन द्वारा जिसको आरोपी बनाया गया उनके बयान तक नहीं लिये गये|

d. CCTV फुटेज सीज़ करने की शिकायत देने के बावजूद वह समय पर सीज़ भी नहीं किये गये और ना ही दिये गये|

e. मोबाईल लोकेशन की सत्यापित कॉपी माँगी गई मगर नहीं दी गई

f. रिश्वतखोर भाई द्वारा पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को दी गई शिकायत में अपने आरोपी भाई का जिक्र तो किया मगर उसके भाई ने Paytm के द्वारा जो धोखाधड़ी करके पैसे चोरी किये थे उसका जिक्र तक नहीं किया

निष्कर्ष: पुलिस को पता था कि, शिकायतकर्ता बहन की शिकायत झूठी है इसलिये तकनीकि सबूत इकट्ठे किये ही नहीं गये||

3. F.I.R. 236/2017 दर्ज की गई जिसका आधार बेबुनियाद था जहाँ पर शिकायतकर्ता रिश्वतखोर सुखदेव था जिसने पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को दी गई शिकायत से अलग हट कर नई तरह की शिकायत Whistle Blower व पीड़ित के खिलाफ दी, जो उसके द्वारा पुलिस कमिश्नर को दी गई शिकायत व उस F.I.R. में लगी शिकायत को देख कर समझी जा सकती है जहाँ शिकायतकर्ता सुखदेव द्वारा कहा जा रहा है कि, पीड़ित लकी द्वारा उसके भाई के दबाव डालकर व उसके मोबाईल का गलत इस्तेमाल करके पैसों का हेरफेर किया गया|

यह शिकायत पूरी तरीके से इस रंजिश में पुलिसकर्मियों को पैसे खिलाकर की गई जिससे रिश्वतखोर भाई के परिवार का दबदबा व दहशत मौहल्ले में फैल सके साथ ही यह मंशा भी नजर आ जाये कि, "हमारे खिलाफ शिकायत करोगे तो यह अंजाम होगा, पुलिस हमारी जेब में है"| हमारा यह आरोप निम्न आधार पर सत्य साबित होता है:-

a. पीड़ित लकी की तरफ से पहले शिकायत की गई जबकि शिकायतकर्ता सुखदेव की शिकायत के अनुसार तो सुखदेव को मतलब पीड़ित लकी से भी पहले लकी के खिलाफ शिकायत कर देनी चाहिये थी जबकि शिकायतकर्ता सुखदेव ने अपने पिता के हाथों से चोरी की गई रकम को नुकसान भरपाई के साथ लौटाया था जो साफ बताता है कि खाद्य इंस्पैक्टर सुखदेव किस प्रकार भ्रष्ट व झूठा है|

b. इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई भी बयान Whistle Blower व पीड़ित से नहीं लिया गया

c. मौहल्ले में दहशत फैलाने के लिये Whistle Blower व पीड़ित को हथकड़ी पहना कर घुमाया गया

d. हथकड़ी पहना कर घुमाने की सच्चाई उजागर करने के लिये रिश्वतखोर शिकायतकर्ता के घर के दरवाजे पर CCTV कैमरे की फुटेज व पास की एक कंपनी में लगे CCTV कैमरों की फुटेज सील करने को कहा गया जो सीज़ नहीं किया गया|

e. हथकड़ी पहना कर मौहल्ले में घुमाने वाले तीनों पुलिसवालों की उस वक्त की मोबाईल लोकेशन माँगी गई जो नहीं दी गई

निष्कर्ष: यह F.I.R. 236/2017 पूरी तरह से मौहल्ले में दहशत फैलाने के लिये मुख्य शिकायकर्ता (Whistle Blower व पीड़ित) के खिलाफ पुलिस की मिलीभगत से बेबुनियाद आधार पर करवाई गई|

4. F.I.R. 0343/2017 दि. 19.08.2017 को Paytm द्वारा धोखाधड़ी करनेवाले व उसके रिश्वतखोर भाई व झूठी शिकायत करनेवाली बहन [redacted] कौर के पिता जोगिन्दर सिंह द्वारा दर्ज करवाई गई जो निम्न आधार पर पूरी तरह झूठी साबित होती है:-

a. वारदात की जो जगह बताई जा रही है वहाँ उस जगह को लक्ष्य करके CCTV कैमरा लगा हुआ है जो जोगिन्दर की मिलकियत है| अतः उसे तुरंत वह फुटेज पुलिस कमिश्नर (लुधियाना) व पुलिस संरक्षण में खुद ही दे देनी चाहिये थी जिससे उसकी खुद की शिकायत को मजबूत आधार मिल जाता मगर यह CCTV सीज़ करने के लिये हमें शिकायत देनी पड़ी|

b. मोबाईल लोकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से F.I.R. को सच साबित करने के लिये पुख्ता सबूत जुटाये जा सकते हैं मगर वह भी हमारे द्वारा माँगनी पड़ रही है|

c. पुलिस द्वारा अवैध रूप मे हिरासत (illegal detention) करके सुबह लगभग 5.30am बजे (F.I.R. दर्ज करने से पहले) ही उठा लिया गया| जो पुलिसकर्मियों व रिश्वतखोर सुखदेव सिंह की मिलीभगत का नतीजा है|

d. पाँचों पुलिसकर्मियों के नाम, मोबाईल नं. व मोबाईल लोकेशन माँगी गई है अगर मिलती है तो जाँच पर असर पड़ेगा और सच्चाई बाहर आयेगी|

5. कई CCTV व मोबाईल लोकेशन के साथ-साथ कॉल डीटेल्स भी माँगे गये हैं, कॉल डीटेल्स मिलेंगी तो जाँच आगे बड़ेगी और सच्चाई सामने आयेगी|

संबंधित मामलों में सभी संबंधित विभागों में सबूतों के साथ शिकायतें भेजी गई थीं मगर शिकायतकर्ताओं के ऊपर ही F.I.R. पर F.I.R. होना यह साबित कर रहा है कि, पुलिस कमिश्नर (लुधियाना), वरिष्ठ व जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों की सहमति से F.I.R. पर F.I.R. दर्ज करवाई जा रही है| सच्चाई सामने ना आये और अपराधियों की दहशन व पुलिस की गुंडागर्दी समाज व पूरे शहर पर दबदबा बनाये रखे और संदेश जाये कि, किसी रिश्वतखोर या भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने का अंजाम इतना भयानक हो सकता है कि, F.I.R. तो कुछ भी नहीं, आपकी हत्या भी कानून की आड़ में की जा सकती है|

अभी तक इस मामले में जो भी संदेश जा रहा है वह यह दिखा रहा है कि, अगर पुलिस कमिश्नर (लुधियाना) या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इन सभी मामलों की जाँच होती है तो वह निष्पक्ष ना होकर अपराधियों व भ्रष्टाचारियों को बचाने की खानापूर्ती ही होगी|

अतः संगठन चाहता है कि संबंधित मामलों में तुरंत 'केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)' के द्वारा जाँच करवानी शुरू की जाये और दोषियों को सजा दिलवाई जाये|

आशा है, पंजाब में लुधियाना पुलिस द्वारा की जा रही संवैधानिक हत्या को बचाने के लिये जिम्मेदार माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय पंजाब और हरियाणा हाय कोर्ट के साथ-साथ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) दखल देकर Whistle Blower व पीड़ित को इंसाफ दिलाने का कार्य करेगी|

धन्यवाद!

सोनिका क्रांतिवीर

सोनिका क्रांतिवीर
मोब. 99209-13897
भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान
www.bvbja.com

भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान
सुनील तिवारी

नोटः	संबंधित मामले में ए.सी.पी. सचिन गुप्ता संविधान को ठोकर पर रखते हुये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं पिछले दो महीनों से 'पेपर बम' और सबूतों के साथ शिकायतें (SMS, ईमेल व सोशल मीडिया) लगातार दी जा रही हैं मगर कार्यवाही ना किया जाना यह दिखा रहा है कि पंजाब देश से अलग है और वहाँ हमारे देश का संविधान लागू नहीं है केवल गुंडागर्दी ही लागू है|

संलग्न दस्तावेज़ :

- संगठन द्वारा पूर्व में भेजे गये शिकायत-पत्र

प्रतिलिपी :

1. माननीय राष्ट्रपति महोदय
2. माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय
3. माननीय प्रधानमंत्री महोदय
4. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
5. राज्यपाल, पंजाब
6. मुख्यमंत्री, पंजाब
7. पुलिस महानिदेशक (DGP), पंजाब

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL A RM067012014IN
Counter No:1,OP-Code:303
To:MA. PRDHANMANTRI,
Nirman Bhawan S.O, PIN:110011
From:BHRSATACHAR VIRUDH , MBI-1
Wt:210grams,
Amt:72.00 ,16/09/2017 ,10:19
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL A RM067012028IN
Counter No:1,OP-Code:303
To:MA. HEAD NAYAYADHISH,
New Sectt Chandigarh S.O, PIN:160001
From:BHRSATACHAR VIRUDH , MBI-1
Wt:210grams,
Amt:72.00 ,16/09/2017 ,10:20
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL A RM067012031IN
Counter No:1,OP-Code:303
To:MA. HEAD NAYAYADHIS,
NEW DELHI, PIN:110201
From:BHRSATACHAR VIRUDH , MBI-1
Wt:210grams,
Amt:72.00 ,16/09/2017 ,10:21
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL A RM067012045IN
Counter No:1,OP-Code:303
To:CHEIF MINISTER &STA,
High Court S.O (Chandigar, PIN:160001
From:BHRSATACHAR VIRUDH , MBI-1
Wt:210grams,
Amt:72.00 ,16/09/2017 ,10:22
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL A RM067012059IN
Counter No:1,OP-Code:303
To:MA,RASHTRAPATI,
Rashtrapati Bhawan S.O, PIN:110004
From:BHRSATACHAR VIRUDH , MBI-1
Wt:210grams,
Amt:72.00 ,16/09/2017 ,10:23
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL A RM067012062IN
Counter No:1,OP-Code:303
To:POLICE MAHANIDESHAK,
Sector 8(Chandgarh) S.O, PIN:160009
From:BHRSATACHAR VIRUDH , MBI-1
Wt:210grams,
Amt:72.00 ,16/09/2017 ,10:24
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL STOCK EXCHANGE PO <400001>
RL A RM067012076IN
Counter No:1,OP-Code:303
To:VP SINGH BADNORE,
Sector 8(Chandgarh) S.O, PIN:160009
From:BHRSATACHAR VIRUDH , MBI-1
Wt:210grams,
Amt:72.00 ,16/09/2017 ,10:24
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post